दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं. 1250/2013 और सि.वि. सं. 2369/2013

निर्णय तिथि: 26 नवंबर, 2013

अमरदीप डबास ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री एस.एस. पांडे, अधिवक्ता सह व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री पवन नारंग, अधिवक्ता सह श्री अनीश ढींगरा अधिवक्ता एवं सुश्री वसुंधरा चौहान, अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल (मौखिक)

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा मू. अ. सं. 4/2013 सी.पी.एल. अमरदीप डबास बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित दिनांक 4 फरवरी, 2013 के निर्णय को चुनौती दी है। न्यायाधिकरण के समक्ष 3 दिसंबर, 2012 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जो

याचिकाकर्ता को 11 दिसंबर, 2012 के एक पत्र के तहत सूचित किया गया था, जिसमें भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशनिंग हेतु उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था।

2. जहां तक आवश्यक हो, इस याचिका को उत्पन्न करने वाले तथ्यों को संक्षेप में आगे उल्लेख किया गया है।

3. याचिकाकर्ता 22 जून, 2000 को भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर भर्ती हुआ था। जून, 2001 में उसे लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के पद पर नियुक्त किया गया तथा जुलाई, 2005 में उसे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया गया। 2001 से 2005 के बीच याचिकाकर्ता असम के तेजपुर में स्थित अग्रिम एयर बेस यानी 11वें विंग वायुसेना स्टेशन पर सुरक्षा ड्यूटी पर कार्यरत था।

4. 9 अगस्त, 2005 को प्रत्यर्थीगण ने एक नागरिक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आधार पर जांच का आदेश दिया था:-

> "(क) गोरईमारी निवासी श्री पिंकू छेत्री के घर में उनकी अनुपस्थिति में घुसना और उनकी पत्नी को श्री सरकार का सिविल ड्राइविंग लाइसेंस सौंपने के लिए मजबूर करना।
> (ख) नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी, तेजपुर को 11 विंग की विभिन्न

इकाइयों/अनुभागों के हस्ताक्षर और मुहरों वाले फर्जी पता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करके जालसाजी करना।

(ग) श्री पिंकू छेत्री के लिए भारी मोटर वाहन (एचएमवी) सिविल लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी सेवा ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर जालसाजी करना।

(घ) 1000/- रुपए से लेकर 2500/- रुपए तक के कमीशनिंग के आधार पर डीटीओ, तेजपुर से नागरिकों के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में संलिप्तता।"

5. जांच न्यायालय को याचिकाकर्ता की संलिप्तता की जांच करने का आदेश दिया गया। यह निर्विवाद है कि इस जांच न्यायालय में 4 जून, 2007 को ईस्टर्न एरिया कमांड (ईएसी) के मुख्यालय में वायु-अधिकारी-कमांडिंग-इन-चीफ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सामग्री पर विचार करने के बाद 18 महीने के लिए कड़ी अप्रसन्नता जताई थी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के मामले को अनुशासनात्मक आधार पर व्यापार में बदलाव के लिए संसाधित किया गया था। उसका व्यापार भारतीय वायु सेना पुलिस से पर्यावरण सहायता सेवा सहायक (ईएसएसए) में बदल दिया गया था। हमारे सामने यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने व्यापार में बदलाव के लिए भी अपनी इच्छा प्रस्तुत की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1 जुलाई, 2009 से याचिकाकर्ता को कॉर्पोरल के पद पर भी पदोन्नत किया गया था।

6. इन आरोपों के संबंध में, याचिकाकर्ता को दिनांक 16 जनवरी, 2007 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी पाए जाने के कारण उन्हें वायुसेना अधिनियम,

1950 की धारा 20(3) के साथ वायुसेना नियम, 1969 के नियम 18 के तहत सेवा से क्यों न हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने नोटिस का प्रारंभिक और विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर विचार करने के पश्चात भी, एओसीइन-सी, ईएसी द्वारा उन्हें निम्नलिखित चूकों के लिए दोषी पाया गया:-

> "(क) श्री पिंकू छेत्री नामक एक नागरिक के घर में उनकी अनुपस्थिति में घुसना, तथा उनकी पत्नी पर श्री सरकार का सिविल ड्राइविंग लाइसेंस सौंपने के लिए दबाव डालना, तथा
> (ख) डीटीओ, तेजपुर से 1000/- से 2500/- रुपए तक के कमीशनिंग के आधार पर नागरिकों के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में संलिप्त होना।"

इसलिए एओसी-इन-सी ईएसी ने 4 जून, 2007 को याचिकाकर्ता को 18 महीने के लिए अपनी 'गंभीर अप्रसन्नता' सुनाई है।

7. हम ध्यान दें सकते हैं कि याचिकाकर्ता को दी गई परिनिंदा तथा भारतीय वायुसेना पुलिस से ईएसएसए में ट्रेड परिवर्तन को याचिकाकर्ता द्वारा किसी वैधानिक अपील या वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई है।

8. इस परिनिंदा के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा सामान खोने के संबंध में, उसे 14 अक्टूबर, 2008 को लाल स्याही से तथा 28 मई, 2009 को काली स्याही से प्रविष्टि दी गई थी।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स (जिसे आगे 'जीडीओसी' कहा जाएगा) के लिए आवेदन करने हेतु पात्र और इच्छुक एयरमैन से आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता ने 131, 132 और 133 ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स के लिए आवेदन करने का दावा किया है। याचिकाकर्ता 131 और 132 जीडीओसी के लिए चयन प्रक्रिया को पास नहीं कर सका।

10. वर्तमान मामला याचिकाकर्ता के 133 जी.डी.ओ.सी. के लिए आवेदन से संबंधित है तथा इसकी चुनौती उसी तक सीमित है। इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन 8 दिसंबर, 2011 के एक संचार के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा उसने विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में आवेदन प्रस्तुत किया था। यह भी आग्रह किया गया है कि लागू प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन को अधिकारियों के बोर्ड द्वारा संसाधित किया गया था तथा उसके मामले को लिखित परीक्षा में शामिल करने के लिए कमांड हेडक्वार्टर को अनुशंसित किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने न केवल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि वायुसेना चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार भी

उत्तीर्ण किया और उसे सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। 7 जुलाई, 2010 को आयोजित चिकित्सा परीक्षण में उसे चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया। उपर्युक्त के बावजूद, याचिकाकर्ता का नाम 20 दिसंबर, 2012 को वेबसाइट पर प्रकाशित सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं था। याचिकाकर्ता को 24 दिसंबर, 2012 को उसके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सूचित किया गया कि उसका नाम ऐसी कमीशनिंग के लिए सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं था और वर्ष 2007 में उसे दी गई पूर्वोक्त परिनिंदा के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उसे पता चला है कि प्रत्यर्थीगण ने एएफओ 3/2008 के पैरा 38(च) के आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद्द करने की कार्यवाही की थी।

11. याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई है कि याचिकाकर्ता के आवेदन और उम्मीदवारी को 3 नवंबर, 2006 के एएफओ 39 के अनुसार संसाधित किया जाना आवश्यक था, जिसमें कमीशनिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह आग्रह किया जाता है कि एक बार जब याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी बोर्ड और मुख्यालय द्वारा मंजूरी दे दी गई और उसने न केवल लिखित परीक्षा बल्कि साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली, तो किसी अन्य व्यक्ति को योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं था।

12. जहां तक 18 जनवरी, 2008 के एएफओ 3 का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. एस. पांडे ने आग्रह किया है कि धारा 38(क) के अनुसार, परिनिंदा के निर्णय पर केवल एक बार ही उस अधिकारी या अधिकारियों के बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसके समक्ष एयरमैन का मामला आया था। यह निर्णय परिनिंदा के निर्णय के पश्चात ही लिया जा सकता है। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ने अधिकारी द्वारा प्रथम विचारण के चरण को पार कर लिया है और उसकी उम्मीदवारी को अधिकारियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, इस कारण से भी, याचिकाकर्ता की योग्यता को अस्वीकार करने के लिए किसी भी अधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है और याचिकाकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय वायु सेना में कमीशनिंग प्राप्त करने का हकदार है।

13. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा जिस मुद्दे पर विचार किया गया है तथा जिसे हमारे समक्ष रखा गया है, वह यह है कि प्रत्यर्थीगण को भारतीय वायु सेना में कमीशनिंग के लिए एयरमैन की उम्मीदवारी पर किस प्रकार विचार करना होगा।

14. हमारे समक्ष प्रस्तुत सीमित मुद्दे को देखते हुए, हम 2008 के वायु सेना आदेश 3 में निहित निर्देशों पर उपयोगी रूप से विचार कर सकते हैं; जो वायु सेना कर्मियों के संबंध में अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया, आचरण और निष्कर्ष के संबंध में पहलुओं को मानकीकृत करता है।

2008 के वायु सेना आदेश 3 के परिचय के अनुसार, यह अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाइयों से सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिन्हें किसी अन्य वायु सेना प्रकाशन में विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। हम 2008 के वायु सेना आदेश 3 के अनुच्छेद 38 पर उपयोगी रूप से विचार कर सकते हैं, जिसका शीर्षक "परिनिंदा का प्रभाव" है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"परिनिंदा का प्रभाव

38. (क) परिनिंदा के आदेश पर केवल एक बार उस प्राधिकरण या अधिकारियों के बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, जिसके समक्ष एयरमैन का मामला परिनिंदा के आदेश के बाद सबसे पहले विचार के लिए आता है। परिनिंदा की अवधि चाहे जो भी हो, इस आदेश पर विचार किया जाएगा।

(ख) एयरमैन को दी गई परिनिंदा पर केवल अगले उच्च रैंक पर उसकी पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता या अन्यथा निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा, उदाहरण के लिए यदि कोई एयरमैन जेडब्ल्यूओ के पद पर परिनिंदा का सामना करता है। ऐसे आदेश पर केवल डब्ल्यूओ के कार्यकारी पद के लिए विचार किया जाएगा। पदोन्नति के लिए एयरमैन की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए, कदाचार की गंभीरता, जिस प्राधिकरण ने एयरमैन की परिनिंदा की और जिस अवधि के लिए परिनिंदा की गई, उसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) जेडब्ल्यूओ, डब्ल्यूओ और एमडब्ल्यूओ के कार्यकारी पद पर पदोन्नति के लिए एयरमैन पर विचार करते समय गंभीर नाराजगी और 'अप्रसन्नता' के आदेश पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। यदि इस तरह की परिनिंदा पर किसी पहले अवसर पर विचार नहीं किया गया है। नकारात्मक अंक देने का आधार उस प्राधिकारी की स्थिति पर निर्भर करेगा जिसने वायुसैनिक की परिनिंदा की है और गंभीर अप्रसन्नता के मामले में, प्राधिकारी के अलावा, जिस अवधि के लिए गंभीर अप्रसन्नता दी गई थी, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि परिनिंदा के अधिनिर्णय के लिए नकारात्मक अंकों को ध्यान में रखने के बाद, वायुसैनिक को पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी जाती है, तो, 'गंभीर अप्रसन्नता' की वैधता उसकी पदोन्नति को रोकने का आधार नहीं होगी।

XXX XXX XXX

(च) महत्वपूर्ण कार्यों और पाठ्यक्रमों, विदेश में पोस्टिंग, विदेश में पाठ्यक्रमों, सेवा विस्तार आदि के लिए **वायुसैनिकों की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिनिंदा पर भी विचार किया जाएगा।"**

(जोर दिया गया)

15. जबकि याचिकाकर्ता ने पैरा 38(क) पर भरोसा किया है, प्रत्यर्थीगण ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष तथा वर्तमान कार्यवाही में पूर्व में अधिसूचित पैरा 38(च) पर भरोसा किया है। यह उल्लेखनीय है कि उप पैरा (क) में केवल यह कहा गया है कि परिनिन्दा पर केवल एक बार विचार किया

जाएगा। वर्तमान मामला वायु सेना के अधिकारी पद पर त्वरित कमीशनिंग से संबंधित है, जो एक प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से होता है, जो निर्धारित है। इसलिए, यह मुद्दा केवल परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की पात्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि पात्रता मानदंड को पूरा करने तथा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के पश्चात नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवार की उपयुक्तता से भी संबंधित है। इस प्रकार, उम्मीदवारों की ऐसी कमीशनिंग के लिए उपयुक्तता पर विचार करना भी सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया है। पैरा 38 की योजना से पता चलता है कि उप पैरा (च) में यह अनिवार्य रूप से प्रावधान है कि किसी उम्मीदवार को दी गई परिनिंदा को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वायु सेना में कमीशनिंग के लिए एयरमैन की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। 'इसके अलावा' अभिव्यक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धारा (च) के तहत शक्ति पैरा (क) से (ड़) में प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति के अतिरिक्त है। उप पैरा (च) सख्ती से 'कमीशनिंग' से संबंधित है, जिससे हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं।

16. हम ध्यान दें कि वायु सेना आदेश 3/2008 18 जनवरी, 2008 से जारी किया गया था और प्रत्यर्थीगण द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया पर लागू था। यह तथ्य निर्विवाद है। इसलिए, प्रत्यर्थीगण द्वारा वायु सेना आदेश 3/2008 के पैरा 38(च) की कठोरता को लागू किया जाना था।

17. इसको देखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह जोरदार तर्क कि परिनिंदा पर केवल वही अधिकारी विचार कर सकता था जो याचिकाकर्ता के आवेदन पर पहले विचार करता है और उसकी संस्तुति करता है या वह अधिकारी मंडल जिसके समक्ष एयरमैन परिनिंदा के बाद आता है, निराधार है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा इसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

18. यह उल्लेखनीय है कि मामले के मूल अभिलेख की सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गई है। इसे हमारे समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के पिछले अभिलेख के आधार पर उसकी अनुपयुक्तता के संबंध में सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए विस्तृत निष्कर्ष को देखते हुए, हमारे लिए निष्कर्षों को दोहराना आवश्यक नहीं है।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1996 के ***जाहर सिंह बनाम भारत संघ व अन्य*** के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी प्रत्यर्थीगण द्वारा रद्द नहीं की जा सकती थी। इस मामले में, पीओ एवं आरएमएस अकाउंटेंट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए जाहर सिंह की उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती दी गई थी। जाहर सिंह को परीक्षा में भाग लेने के लिए बिना किसी शर्त के अनुमति दी गई थी और उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि वे पद के लिए योग्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी कोई ऐसा नियम

या परिपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, जो प्रत्यर्थीगण को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार देता हो। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया था, फिर भी राहत नहीं दी थी। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने जाहर सिंह द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था और प्रत्यर्थीगण को उन्हें लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस न्यायिक घोषणा में याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कानून के किसी सिद्धांत को नहीं रखा गया है। निर्णय मामले के तथ्यों के आधार पर दिया गया है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है।

20. यह हमारे समक्ष स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता को परिनिंदा का आदेश दिया गया था। एएफओ 3, 2008 के पैरा 38(च) में यह आदेश है कि उसे दी गई परिनिंदा को कमीशनिंग के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। इस मामले में, याचिकाकर्ता को नियुक्ति का कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था।

21. यह इस स्तर पर था कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को कमीशनिंग के लिए अनुपयुक्त पाया और उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार नहीं होगा, केवल इसलिए कि प्रत्यर्थीगण ने उसके आवेदन पर विचार करते समय और उसे परीक्षा और

साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति देते समय पैरा 38(च) की अनदेखी की थी।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि जहां तक भारतीय वायु सेना में एयरमैन की स्थायी कमीशनिंग का प्रश्न है, इसलिए प्रक्रिया 3 नवंबर, 2006 के एएफओ 39 में निर्धारित है और पैरा 3 पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता के मामले की उसके स्टेशन-इन-कमांडर द्वारा सिफारिश की गई है और बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा इसकी जांच की गई है, इसलिए अधिकारियों के पास उसकी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है।

23. हम सशस्त्र बल आदेश 39 के उप पैरा 3 के पैरा (ड़) में निहित प्रावधानों को उपयोगी रूप से उद्धृत कर सकते हैं जो निम्नानुसार है:-

> "(ङ) ऐसे एयरमैन जिसके खिलाफ ईमानदारी की कमी, नैतिक पतन, वित्तीय अनियमितताओं या ऐसे अन्य दुराचार के कारण शीट रोल में कोई रेड इंक एंट्री दर्ज की गई हो या जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही या ऐसी प्रकृति की जांच/जांच लंबित हो जो कमांडिंग ऑफिसर की राय में उन्हें कमीशनिंग के लिए अयोग्य बनाती हो, उन्हें कमीशनिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे एयरमैन जिनके खिलाफ पिछले पांच वर्षों में किसी भी प्रकार के अपराध के लिए एक से अधिक रेड इंक एंट्री दर्ज की गई

> हो, उन्हें कमीशनिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों के कमांडिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके आवेदन अग्रेषित न किए जाएं।"

24. पैरा (ड़) में प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है। यह उन वायुसैनिकों को कमीशनिंग के लिए विचारणीय नहीं बनाता है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में किसी भी प्रकार के अपराध के लिए एक से अधिक बार रेड इंक प्रविष्टि की है। कमांडिंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है कि ऐसे आवेदकों के आवेदनों को अग्रेषित न किया जाए। पैरा (ड़) में यह भी प्रावधान है कि जिन वायुसैनिकों ने ईमानदारी की कमी, नैतिक पतन, वित्तीय अनियमितताओं या ऐसे अन्य दुराचार के कारण शीट रोल में कोई रेड इंक प्रविष्टि की है, जो कमांडिंग अधिकारी की राय में उन्हें कमीशनिंग के लिए अयोग्य बनाता है, उन्हें कमीशनिंग के लिए विचारणीय नहीं बनाया जाएगा।

25. यह सामान्य बात है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को योग्यता सूची में लाया गया है, उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता की जांच करने का अधिकार है। अधिकारी को योग्यता सूची में शामिल व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है।

26. न्यायाधिकरण ने पाया है कि उसके समक्ष प्रस्तुत मूल फाइल में याचिकाकर्ता की नियुक्ति न करने के कारण दर्ज किए गए हैं। न्यायाधिकरण ने पाया है कि अभिलेखों से पता चलता है कि अधीनस्थ अधिकारी ने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिशें करने में गलती की है। प्रत्यर्थीगण ने कहा है कि स्टेशन स्तर पर अधिकारियों के बोर्ड द्वारा एएफओ 3 ऑफ 2008 की समझ की अनदेखी के कारण याचिकाकर्ता को लिखित और वायु सेना चयन बोर्ड साक्षात्कार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। खुफिया निदेशालय द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया और सुधारात्मक उपाय किए गए जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। प्रत्यर्थीगण के अभिलेखों में खुफिया निदेशालय से प्राप्त इनपुट शामिल हैं जो याचिकाकर्ता के चयन के खिलाफ हैं

27. प्रत्यर्थीगण के अभिलेख से पता चलता है कि स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर तथा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की संस्तुतियों के संबंध में जांच की गई थी तथा लागू वायुसेना आदेशों की गलत व्याख्या की संभावना थी जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की संस्तुति हो सकती थी।

28. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण द्वारा 13 दिसंबर, 2012 को भेजे गए पत्र में दिए गए निर्देशों को हमारे समक्ष रखा है, जिसमें इस स्थिति को दोहराया गया है कि वायुसेना आदेश 39/2006 में निर्धारित एयरमैन की कमीशनिंग की

प्रक्रिया को वायुसेना आदेश 3/2008 के पैरा 38(च) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

29. उपरोक्त को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चुनौती पूरी तरह से गलत है तथा इसे अस्वीकार किया जाता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

<u>सि.वि. सं. 2369/2013</u>

30. रिट याचिका खारिज हो जाने को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन न्यायनिर्णयन हेतु जारी नहीं रह सकती और खारिज की जाती है।

(गीता मित्तल)
न्या.

(दीपा शर्मा)

न्या.

26 नवंबर, 2013
एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*